राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प ग्राम पंचायत खाटलबाना

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 104/2017

1. अनिरूद्ध पुत्र रामसिंह जाति यादव आयु करीब 39 वर्ष निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **वादी**

—:: बनाम ::—

1. राम सिंह पुत्र स्व. धन्नाराम जाति यादव आयु करीब 61 वर्ष निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राधेश्याम पुत्र श्री रामसिंह जाति यादव निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. मोहनलाल पुत्र रामसिंह निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. सुगना पुत्री रामसिंह पत्नी बलदेव सिंह आयु करीब 43 वर्ष 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

— — **प्रतिवादी**

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरबिनाए साक्ष्य हर किस्म।

## —:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

| | |
|---|---|
| 1. श्री रामेश्वरलाल सुथार अधिवक्ता | वादी |
| 2. श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता | प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 |
| 3. पैरोकार राज | प्रतिवादी संख्या 5 |

## —:: निर्णय ::—

**दिनांक :– 18.05.2018**

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि

वादी के दादा स्व. धन्नाराम पुत्र जयनारायण अहीर निवासी 6 एल.एन.पी. के नाम से चक 15 एम.एल. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 2, 5, 6, 7 की कुल 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज थी, वादी के दादा धन्नाराम का देहान्त दिनांक 05.01.1996 को हुआ तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त दिनांक 12.01.1999 को इन्तकाल संख्या 230 द्वारा उपरोक्त भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 तथा उसके भाईयो अमर सिंह, ओमप्रकाश के नाम से दर्ज हुई, इन्तकाल की नकल शामिल है। भाईयों से विभाजन में प्रतिवादी संख्या 1 को चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर प्राप्त हुई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जमाबन्दी की नकल शामिल है।

इस प्रकार से उपरोक्त कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.365 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। जद्दी जायदाद होने से इसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का

लगातार ........... 2

बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा बना। प्रतिवादी संख्या 4 का विवाह इसी भूमि जद्दी जायदाद की आय से किया गया, अतः उसने उपरोक्त भूमि में अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में मौखिक रूप से पंचायत व बिरादरी के समक्ष अपना छोड़ दिया। इस प्रकार वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त आराजी 2.365 हैक्टर में 1/4 हिस्सा बनता है, कब्जा भी मुश्तरका चला आ रहा है।

अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन से गलत लालच आया हुआ है क्यों कि वह गलत लोगों के प्रभाव में हे जो कि उससे उपरोक्त भूमि को सस्तें में मुन्तकिल करवाकर हड़पने की कोशिश में है इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त भूमि को मुंतकिल करने के लिए लोगों से बातचीत कर रहा है यदि वह इसमें सफल हुआ तो वादी अपने हक हिस्सा से वंचित होगा तथा उसकों जबरन बेदखल किया जावेगा जिससे वह परिवार के जीवन निर्वाह से वंचित होगा तथा गलत मुकदमाबाजी में फस जावेगा, अतः वादी के लिये दावा हाजा लाना अपने अधिकारों की घोषणा करवाना तथा राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्सा की भूमि खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त जद्दी जायदाद में वादी का जन्म से हक हिस्सा होने का मानकर वादी के हिस्सा की भूमि उसके नाम खातेदारी दर्ज करवाये मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 11.06.2017 को साफ इंकारी है जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। वादी के दादा के मृत्यु प्रमाण–पत्र व इन्तकाल संख्या 230 जिसके खाना नंम्बर 7 में वादी के दादा का नाम दर्ज है।

उपरोक्त आराजी श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से दावा वादी काबिज समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 4 का कानूनी रूप से हक हिस्सा होने से वह आवश्यक पक्षकार हैं, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। हालांकि उसने अपना हक हिस्सा छोड़ रखा है।

प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। वादी के नाम उसके हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए आवश्यक पक्षकार है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(अ) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 15 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 86/65, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नंम्बर 1 ता 11 की 2.365 हैक्टर जद्दी जायदाद होने से वादी का जन्म से हक हिस्सा होने से उसके हिस्सा की आराजी राजस्व रिकार्ड में उसके नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी में वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने व प्रतिवादी संख्या 1 मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य को अनुतोष जो वीद के हित में हो, वह भी प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम्

लगातार ..... 3

प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री रामेश्वरलाल सुथार अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी दावा अदालतवाला में वादी ने चक 15 एम.एल. पटवार हल्का 6 एल.एन.पी. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 51 मुरब्बा नम्बर 2, 5, 6, 7 की कुल 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के दादा स्व. धन्नाराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी, वादी के दादा धन्नाराम का देहान्त दिनांक 05.01.1996 को हुआ तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त दिनांक 12.01.1999 को इन्तकाल संख्या 230 द्वारा उपरोक्त भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाईयो अमर सिंह, ओमप्रकाश के नाम दर्ज हुई तथा इसके उपरान्त भाईयो से विभाजन पर प्रतिवादी संख्या 1 को चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नंम्बर 7 के किला नंम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर नहरी मय खाला रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि जद्दी जायदाद है इसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा होने तथा उसके हिस्से की घोषणा करवाने व राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज करवाने बाबत् पेश किया गया इसमें प्रतिवादी संख्या 4 सुगना पुत्री राम सिंह जो कि शादीशुदा है अतः उसकी शादी पर उक्त भूमि में से खर्चा करने के कारण उसको हक मिल गया था तथा अब वह उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। अतः वादी व प्रवितादीगण के बीच में यह पाया गया कि उक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व हिस्सा बराबर–बराबर के हकदार घोषित किये जावे व वादी का इसमें 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर का हकदार मानकर प्रत्येक का हिस्सा निम्न प्रकार से किया गया है जिसके हिस्सा में जो भूमि आयी है वह उस पर काबिज हो गया है तथा खातेदार हकदार रहेगा।

1. वादी अनिरूद्ध के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि का विवरण :– चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राम सिंह पुत्र श्री धन्ना सिंह के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि :– चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राधेश्याम पुत्र श्री राम सिंह के हिस्सा व कब्जा काश्त में आई भूमि का विवरण :– चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा।
4. प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल पुत्र राम सिंह के कब्जा व काश्त में आई भूमि का विवरण :– चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा

इस प्रकार से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्सा पर काबिज हो गये है तथा इसी के अनुसार कागजात राज में अपना हिस्सा अमल दरामद करवाने में सभी पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण सहमत व रजामन्द है।

वादी को चक 15 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 86/65 के मुरब्बा नंम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की 2.365 हैक्टर जद्दी जायदाद होने से वादी का

लगातार ..... 4

जन्म से हक हिस्सा होने से उसके हिस्सा की आराजी राजस्व रिकार्ड में उसके नाम खातेदारी दर्ज का आदेश दिया जावें।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। वह जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण द्वारा अपनें हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना न्यायोचित है।

## — :: आदेश ::—

अतः वाद में वर्णित चक 15 एम.एल. के खाता संख्या 86/65 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 11 की कुल 2.365 हैक्टर आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी है में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादी 1 अनिरूद्ध पुत्र रामसिंह जाति यादव आयु करीब 39 वर्ष निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 राम सिंह पुत्र स्व. धन्नाराम जाति यादव आयु करीब 61 वर्ष निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 1/4 हिससा, प्रतिवादी संख्या 2 राधेश्याम पुत्र श्री रामसिंह जाति यादव निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल पुत्र रामसिंह निवासी 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 18.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत खाट लबाना के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर